

विज्ञप्तिविषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के नियम -12बी(20) एवं 25बी (12) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एवं उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा 81 को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यापारियों से उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित फार्म मिसिंग की सूचना प्राप्त हुई है। अतः इन फार्मों का प्रयोग अवैध होगा :-

क्र0 सं0	व्यापारी / फार्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	सर्वश्री गणपति आहार, केसरगंज, मेरठ।	फार्म -3 ग(1) संख्या- 179047	खोने के कारण	01
2-	मेसर्स श्रीविश्वनाथ विकास समिति, धीमानपुरा, शामली	फार्म-3'बी' संख्या- 023944 से 023947 तक संख्या- 023949 से 023950 तक	खोने के कारण	04 02
3-	मेसर्स गोयल क्वायर फोम (इ0) प्रा0लि0, बरेली	फार्म- 3डी संख्या- 01 / 03	खोने के कारण	01
4-	सर्वश्री डिसनेट वायरलेस लि0, ए-4, व 29 सै0-9, नोएडा	फार्म -21 संख्या -0743079, 0743442, 0743443, 0743448, 0743361, 0743364, 0677066, 0677067, 0677068, 0677069, 0688283, 0688267 एवं 0780456	खोने के कारण	13
5-	मेसर्स हिमालिया माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स प्रा0लि0, लखनऊ रोड बाराबंकी	फार्म-3'ख' संख्या- 243960	खोने के कारण	01
6-	मेसर्स ए0बी0सी0इण्डस्ट्रीज, लखनऊ रोड, बाराबंकी	फार्म-3'ख' संख्या-267469	खोने के कारण	01
7-	सर्वश्री इमामुद्दीन वूड सप्लायर्स, अनूपशहर	फार्म-3'ख' संख्या-179635	खोने के कारण	01

(यू0सी0 दीक्षित)

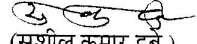
एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 4- महालेखाकार, उ0प्र0 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद।

- 5- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 9- ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ।
- 10- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।
- 12- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ।
- 13- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ।


(सुशील कुमार दुबे)

असिस्टेन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय।